भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
04.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1458 का उत्तर

रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों की सुरक्षा

1458. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा रेलगाड़ी से यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कितनी रेलगाड़ियों में सुरक्षा की दृष्टि से डिब्बों में कैमरे लगाए गए हैं/अभी भी लगाए जाने हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रणाली को डिब्बों में कब तक लगाए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

S.K

रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में दिनांक 04.12.2024 को लोक सभा में श्री बृजेन्द्र सिंह ओला के अतारांकित प्रश्न सं. 1458 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सरकार के विषय हैं और इसलिए राज्य सरकारें अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के माध्यम से रेलों में अपराध की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण करने और उनका अन्वेषण करने तथा कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। रेल सुरक्षा बल रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों और इससे संबद्ध मामलों के लिए बेहतर रक्षा और सुरक्षा सुलभ कराने के लिए राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों की पूर्ति करता है।

रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर महिला यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए राजकीय रेल पुलिस के समन्वय से रेलों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. **भेद्य और चिह्नित मार्गों/रेलखंडों पर, विभिन्न राज्यों की राजकीय रेल पुलिस द्वारा प्रतिदिन मार्गरक्षण की जा रही रेलगाड़ियों के अलावा रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है।**
2. **'मेरी सहेली' पहल के अंतर्गत, लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्री की पूरी यात्रा के दौरान अर्थात प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक सुरक्षा पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है।**
3. **यात्रियों की बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए कई सवारी डिब्बों में और रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध सीसीटीवी कैमरों द्वारा निगरानी की जाती है।**
4. **तत्काल सहायता के लिए यात्री सीधे रेल मदद पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 139 [जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) नंबर 112 के साथ एकीकृत है] के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।**
5. **रेलवे ट्विटर एवं फेसबुक आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती है ताकि यात्रियों की सुरक्षा का संवर्धन किया जा सके और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निवारण किया जा सके।**
6. **यात्रियों को चोरी, झपटमारी, जहरखुरानी आदि के खिलाफ सावधानी बरतने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली द्वारा बार-बार घोषणाएं की जाती हैं।**

S.K

7. क्षेत्रीय रेलों को यथासंभव सीमा तक, रेलगाड़ी मार्गरक्षी दलों में पुरुष और महिला रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल कर्मियों की उपयुक्त संयुक्त संख्या तैनात करने के अनुदेश दिए गए हैं।
8. महिलाओं के लिए आरक्षित कंपार्टमेंट में पुरुष यात्रियों के प्रवेश के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।
9. रेलों की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति का गठन किया गया है।

(ख) एवं (ग): सभी सवारी डिब्बों में चरणबद्ध पद्धति से सीसीटीवी कैमरें उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब तक, 9572 सवारी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरें फिट किए गए हैं।

*****

S.K